न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार गल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 35/2016
दायर तिथि— 24.06.2016
तारीख फैसला— 25.06.2018

वादी— बनामः प्रतिवादी—

1—श्री पुखराज उर्फ पकीया पुत्र देवाजी
जाति—घांची निवासी—घाचीयों का वास
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

—:निर्णयः—

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः—

(1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा पटवार क्षेत्र सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रसत कृषि भूमि खसरा नं. 24, 26, 31, 13 कुल रकबा 11 बिघा 4 बिस्वा पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है, जिसके हाल सेटलमेंट संवत 2037 के बाद नये खसरा नं. 9 रकबा 0.93 हैक्टर एवं खसरा नं. 90 रकबा 0.57 हैक्टर है। जिस पर वादी के पूर्वजों काल से वादी का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना वसूला जा रहा है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करावे। प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे।

(2) पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है व जाखोडा नगरपालिका सुमेरपुर के पैराफेरी परिधीय क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन या खातेदारी देना विधिसम्मत नहीं है, इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज फरमावे।

(3)फलस्वरूप हमने पाया है कि प्रश्नगत् भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है, वादी को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि ग्राम जाखोडा में स्थित होने से सुमेरपुर पालिका क्षेत्र के पैराफेरी परिधीय सीमा में स्थित है। फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं बनता है। वादी का कथित वादपत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा जाखोडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 9 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नं. 90 रकबा 0.57 हैक्टर से संबंधित खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner